

**जनपद - संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 26-07-2021**

आज दिनांक 26.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –  
**सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 3025 रुपये नकद व ताश के 52 – 52 पत्ते बरामद**

**थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों नाम पता 1 – जीशान हैदर पुत्र मो0 नसीम 2- आकाश गुप्ता पुत्र जितेन्द्र गुप्ता 3 – सुबाष मद्धेशिया पुत्र रामकिशोर 4- नन्दू चौहान पुत्र सिद्धू चौहान निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को बजरंग नगर सरकारी ट्यूबबेल पर जुआ खेलते समय 1500 रुपये मालफड़, 505 रु0 जामातलाशी तथा ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 510 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्रा, का0 वीरबहादुर यादव, का0 शुभम कुमार, का0 अमित यादव ।

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा** जुआ खेल रहे 07 अभियुक्तों नाम पता 1 – शाहिद जमाल पुत्र अकबाल अहमद 2- मो0 आसिफ पुत्र मो0 आरिफ 3 – जमील पुत्र वकील निवासीगण विमरामीर 4- मो0 अकरम पुत्र मो0 उमर निवासी बढ्यामाफी 5- मो0 शमीम पुत्र इबारात हुसैन 6- इरफान अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद 7- सफीकुर्रहमान पुत्र रफीउद्दीन निवासीगण विमरामीर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को विगरामीर दक्षिण पोखरे के पास जुआ खेलते समय 600 रुपये मालफड़, 420 रु0 जामातलाशी तथा ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 231 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-** उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 गौरव सिंह, का0 देवी प्रसाद यादव, का0 विशाल सिंह ।

## गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 69/21 धारा 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वाँछित अभियुक्त नाम पता मल्हू पुत्र वकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 01.03.2021 को सूचना मिली थी कि सालेहपुर बाग में 06 लोग एक गोवंशीय पशु की हत्या करने करने हेतु ग्राम साफियाबाद से सालेहपुर रोड की तरफ जा रहे हैं उक्त सूचना पर विश्वास करके थाना दुधारा पुलिस उक्त स्थान पर पहुँचकर 01 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद बोगदा के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- वकील पुत्र अमीन 2- दिलशाद पुत्र मो0 अली निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य 04 लोग फरार हो गए । बरामद 01 राशि गोवंशीय पशु के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 69/21 धारा 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा वकील पुत्र अमीन व दिलशाद पुत्र मो0 अली के पास से बरामद 01-01 अदद बोगदा के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 70/21 व 71/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

**गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 संतोष यादव, का0 सोनू कुमार ।**

### **गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नाम पता आजाद पुत्र इकबाल निवासी मदना थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तारी टीम – उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 संतोष यादव, का0 सोनू कुमार ।**

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 3311 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त** – पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सिरसी से इवेन्ट संख्या 00491 से कालर ने आँख में तेजाब डालने को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 06 मिनट में पहुंचकर घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** – आ0 अनिल यादव, हो0चा0 राजेश कुमार ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनो से 69500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 26.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनो से 69500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।